

98 स्मार्ट शहरों की पहचान के साथ एक बड़े अभियान की शुरुआत

नीरज बाजपेयी

शहरों में नागरिक सुविधाओं के अभाव के कोलाहल के बीच अत्याधुनिक सुविधाओं वाले स्मार्ट शहरों की परियोजना पर काम शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत स्वचालित ट्रैफिक बतियों, स्वच्छ इकाइयों के लिए सोलर पैनलों की व्यवस्था, स्वच्छ हरित परिसरों का विकास, कामकाज की डिजिटल सुविधाएं, क्लोज सर्किट कैमरों के जरिए चौबीसों घंटे निगरानी और ऐसी ही अन्य सुविधाएं शामिल हैं। ड्राइंगबोर्डों पर लक्ष्य रेखांकित करते हुए भावी 98 स्मार्ट शहरों की पहचान कर ली गई है। उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर को एक-एक शहर का चयन करना है, जिन्हें मिला कर 100 स्मार्ट शहरों की सूची पूरी की जाएगी।

भावी स्मार्ट शहरों की घोषणा के साथ अभियान प्रारंभ हो गया है। नरेन्द्र मोदी सरकार स्मार्ट शहरों की परियोजना को आगे बढ़ा रही है ताकि प्रचुर धन के साथ इसे वांछित गति प्रदान की जा सके। आबंटन योजनाओं की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। एक सम्बद्ध घटना के रूप में चीन के वित्तीय बाजारों में हाल में आई गिरावट और विश्वभर में उसके प्रपाती प्रभाव के बाद ढांचागत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। विकास, विशेषकर सड़कों और राजमार्गों के निर्माण का कई गुना प्रभाव पड़ेगा और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार बुनियादी ढांचा स्मार्ट शहर मिशन का आधार है और इन सब घटनाओं से उसे मजबूत करने की तैयारी हो गई है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हाल ही में कहा था कि चीन में आर्थिक बदलाव को देखते हुए भारत विश्व आर्थिक विकास के “अन्य इंजनों” में से एक की भूमिका अदा कर सकता है। श्री जेटली के अनुसार “विकास प्रक्रिया को जारी रखने के लिए विश्व को अन्य इंजनों की आवश्यकता है, और विश्व में मंदी के वातावरण में, भारत जैसी अर्थव्यवस्था जो 8-9 प्रतिशत की दर से विकास कर सकती है, वह वैश्विक अर्थव्यवस्था को सक्षम सहारा दे सकती है”। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार वैश्विक निवेशकों के लिए केंद्र, राज्यों और स्थानीय निकायों के स्तर पर व्यापारिक वातावरण को आसान बनाने के उपाय कर रही है। विशेषज्ञों के अनुसार भूमि अधिग्रहण, भ्रष्टाचार, अधिक सार्वजनिक भागीदारी के साथ निजी निवेश आदि प्रमुख चुनौतियां हैं, जिनका समाधान अनिवार्य है ताकि राजनीतिक सहमति के साथ निर्धारित अवधि में वांछित परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। हाल ही में शहरी विकास मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू ने राज्यों के बीच एक राष्ट्रव्यापी “प्रतिस्पर्धा” के बाद शहरों की एक सूची जारी की जिसमें उत्तर प्रदेश से वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, गाजियाबाद, बरेली और आगरा, तमिलनाडु से तिरुचिरापल्ली, तंजावूर, सेलम, वेल्लौर, चेन्नई, कोयंबतूर और मदुराई, महाराष्ट्र से नाशिक, ठाणे, सोलापुर, नागपुर, नवी मुम्बई, औरंगाबाद और पुणे, मध्य प्रदेश से भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन। गुजरात से अहमदाबाद, गांधीनगर और बड़ौदा, बिहार से भागलपुर और मुजफ्फरपुर शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु से सर्वाधिक 12 शहर लिए गए हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है जहां से 10 शहर सूची में शामिल किए गए हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश से 7, कर्नाटक और गुजरात से 6-6, राजस्थान से 4, आंध्र प्रदेश, बिहार और पंजाब से 3-3 शहर चुने गए हैं। परियोजना के लिए चुने गए शहरों में 24 राजधानी शहर, कुछ व्यापारिक केंद्र और 18 सांस्कृतिक केंद्र हैं। 2 अन्य स्मार्ट

शहरों का चयन उचित समय पर किया जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने परियोजना के लिए अपनी पसंद के शहर के बारे में निर्णय करने के लिए अधिक समय मांगा और खबर है कि उत्तर प्रदेश को मेरठ और रायबरेली में से किसी एक का चयन करने में मशक्कत करनी पड़ रही है।

स्मार्ट शहरों का चयन एक अंतः राज्य प्रतियोगिता के जरिए किया गया है। प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश ने अपने-अपने क्षेत्रों में सभी शहरी स्थानीय निकायों का मूल्यांकन किया, जो मौजूदा सेवा स्तरों, वित्तीय और संस्थागत क्षमताओं और पिछले रिकार्ड एवं सुधारों के आधार पर किया गया। तदनुसार, प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश ने अपने लिए आवंटित स्लॉट के लिए शहरों के नाम भेजे। नामित स्मार्ट शहरों में 8 ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 लाख से कम है, जबकि 35 शहरों और कस्बों की आबादी 1 से 5 लाख के बीच है। इनमें 21 ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी 5 से 10 लाख, 28 शहर 10 लाख से अधिक और 25 लाख से कम आबादी वाले हैं। 5 शहरों का समूह ऐसा है, जिनकी आबादी 25 से 50 लाख के बीच है। 4 शहर-चेन्नई, ग्रेटर हैदराबाद, अहमदाबाद और ग्रेटर मुम्बई की आबादी 50 लाख से ऊपर है। जनसंख्या के आंकड़ों से पता चलता है कि 64 कस्बे और शहर लघु से मध्यम श्रेणी में आते हैं, जबकि शेष 34 बड़े शहर हैं। 9 राजधानी शहरों - ईटानगर, पटना, शिमला, बेंगलुरु, दमन, तिरुवनंतपुरम, पुदुचेरी, गंगटोक और कोलकाता -को स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करने के लिए नामित नहीं किया जा सका है। श्री नायडू ने स्पष्ट किया कि “ऐसे शहरों को सूची में शामिल न किए जाने से यह सिद्ध होता है कि प्रतियोगिता के प्रथम चरण में चयन का आधार शहरों की स्थिति या महत्व को नहीं बनाया गया और चयन उन मानदंडों के अनुसार किया गया जो निर्धारित किए गए थे”।

शहरों के नामों को एक प्रतियोगी चयन प्रक्रिया के आधार पर अंतिम रूप दिया गया, जिसमें रोजगार के अवसर और संवर्धित आर्थिक गतिविधियों सहित सभी मानदंडों को शामिल किया गया था। ऐसी कार्यनीतियां तैयार की जा रही हैं कि स्मार्ट समाधान विकसित करने में स्थानीय निकायों को शामिल किया जाए। तदनु रूप, शहरी उपायों में स्थानीय निकायों की मदद ली जाएगी। परंतु, शहरों के नामों की घोषणा से उन शहरों के बीच एक अप्रिय स्थिति पैदा हुई है, जिनके नाम 98 शहरों की सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं। स्मार्ट शहर बनने की महत्वाकांक्षा रखने वाले शहरों के चयन का काम अब लगभग पूरा हो गया है, परंतु, 'शहर चुनौती' प्रतियोगिता अब दूसरे चरण में प्रवेश कर गई है।

अगले कुछ दिनों में सरकार स्मार्ट शहर योजनाओं के लिए तैयारी के वास्ते 98 शहरों में से प्रत्येक के लिए 2 करोड़ रुपये जारी करेगी। स्मार्ट शहर योजनाओं की तैयारी में महत्वाकांक्षी शहरों की सहायता के लिए प्रतिष्ठित एजेंसियों की क्षेत्रवार सूचियां शहरी मंत्रालय द्वारा तैयार कर ली गई हैं। शहर चुनौती प्रतियोगिता के दूसरे चरण में, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्राप्त सभी स्मार्ट सिटी योजनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके लिए 6 व्यापक मानदंडों को आधार बनाया जाएगा। दूसरे चरण में की प्रतियोगिता में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले 20 शहरों का चयन चालू वित्त वर्ष के दौरान वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। शेष शहरों से कहा जाएगा कि वे दूसरे और तीसरे दौर की प्रतियोगिता में शामिल होने से पहले चिन्हित खामियां दूर करें। दूसरे और तीसरे दौर के लिए 40-40 शहरों की पहचान की जाएगी।

केंद्र सरकार ने 5 वर्षों के दौरान स्मार्ट शहर मिशन के लिए 48,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की योजना बनाई है। चुने हुए स्मार्ट शहर को अगले 5 वर्षों तक प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। तदनु रूप केंद्र सरकार ने स्मार्ट

शहर मिशन के लिए अगले 5 वर्षों के दौरान 48,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और स्थानीय निकायों को भी समान योगदान करना होगा। वास्तव में इसका यह अर्थ है कि अगले 5 वर्षों में चुने हुए 100 शहरों को स्मार्ट बनाने में केंद्र और राज्य सरकारें तथा शहरी स्थानीय निकाय करीब एक लाख करोड़ रुपये खर्च करेंगे।

स्मार्ट शहर योजनाएं एक विशेष प्रयोजन वाहन यानी एक विशेष तंत्र द्वारा कार्यान्वित की जाएंगी, जिसकी स्थापना प्रत्येक चुने हुए शहर के लिए की जाएगी ताकि कारगर कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। इस विशेष व्यवस्था में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और स्थानीय निकायों की भागीदारी 50: 50 के अनुपात में होगी। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के प्रबंधन नियंत्रण के अंतर्गत निजी क्षेत्र को भी इक्विटी के साथ शामिल किया जा सकता है।

जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से स्मार्ट शहर और अटल मिशन के अंतर्गत देश की करीब 80 प्रतिशत आबादी को कवर किया जा सकेगा, जो आज समय की आवश्यकता है। स्मार्ट सिटी मिशन का प्रमुख लक्ष्य शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। स्मार्ट शहरों में सुदृढ़ बुनियादी ढांचा होगा और वे नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण एवं शानदार जीवन प्रदान कर सकेंगे। इससे वातावरण को स्वच्छ बनाने और समस्याओं का दुरुस्त (स्मार्ट) समाधान करने में मदद मिलेगी। एक दर्जन से अधिक बड़े देशों ने इस मिशन से जुड़ने के लिए हित प्रकट किया है। इनमें अमरीका, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, हाँलैंड, स्वीडन, जापान, चीन, सिंगापुर, इस्राइल और आस्ट्रेलिया शामिल हैं।

स्मार्ट सिटी मिशन का लक्ष्य बुनियादी ढांचागत सेवाएं सुनिश्चित करना है ताकि शहरी क्षेत्रों में शानदार एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन संभव बनाया जा सके और

साथ ही वातावरण को स्वच्छता के साथ स्थायित्व प्रदान किया जा सके। इसमें समस्याओं के अत्याधुनिक समाधान अपनाने और गरीबों को अधिक सार्वजनिक स्थान प्रदान करने पर ध्यान दिया जाएगा। इसे क्षेत्रों पर आधारित दृष्टिकोण के जरिए कार्यान्वित किया जाएगा, जिसमें रिट्रोफिटिंग, पुनर्विकास, समग्र शहर उपायों और नए शहरों का विकास जैसे उपाय शामिल किए जाएंगे। इस परियोजना से भाग्यशाली निवासियों के जीवन स्तरों में गुणात्मक परिवर्तन आएगा क्योंकि इसमें हरे-भरे परिसरों और बेहतर परिवेशी वायु तथा तीव्र लेकिन प्रदूषण मुक्त निजी और सार्वजनिक परिवहन जैसी व्यवस्थाओं के साथ स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा। स्कूलों में भी डिजिटल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि शिक्षकों और विद्यार्थियों पर नियमित निगरानी सुनिश्चित की जा सके। प्रस्तावित शहरों में तंग बस्तियां नहीं होंगी और औद्योगिक इकाइयों को इस ढंग से संगठित किया जाएगा कि शांतिपूर्ण औद्योगिक इकाइयों में उच्च उत्पादन के बावजूद नागरिक जीवन पर उनका दुष्प्रभाव न पड़े।

2011 की जनगणना के अनुसार शहरी आबादी करीब 37 करोड़ है, जो देश की कुल आबादी का 31 प्रतिशत है। वर्तमान में भारत की 31 प्रतिशत आबादी शहरों में रह रही है। ये शहर देश की आर्थिक गतिविधियों में 63 प्रतिशत योगदान करते हैं। ये संख्याएं तेजी से बढ़ रही हैं क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक भारत की आधी आबादी शहरों में रह रही होगी।

श्री नायडू का कहना है कि आज ऐसे स्मार्ट रहने योग्य शहरों की आवश्यकता है जिनमें पारदर्शिता और जवाबदेही हो। शहरी स्थानीय निकायों को मुख्य रूप से राजस्व सृजन और संग्रह पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शहरी स्थानीय निकायों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि “इस्तेमालकर्ताओं से शुल्क वसूल करने में वे पर्याप्त दृढ़ता प्रदर्शित करें”।

किसी भी सांविधिक शहर में एक नगर निकाय होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 4,041 सांविधिक शहर/कस्बे हैं। इनमें से 500 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी एक लाख से अधिक है, जिन पर 'अमृत' (अटल शहरी जीर्णोद्धार एवं रूपांतरण मिशन) के अंतर्गत ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ये 500 शहर भारत की 73 प्रतिशत आबादी से सम्बद्ध हैं। 'अमृत' के लिए नामित किए जा सकने वाले शहरों की संख्या इस प्रकार हो सकती है: अंडमान निकोबार (1), आंध्र प्रदेश (31), अरुणाचल प्रदेश (1), असम (7), दिल्ली (1), कर्नाटक (27), केरल (18), उत्तर प्रदेश (54), पश्चिम बंगाल (28), महाराष्ट्र (37), बिहार (27), झारखंड (11) आदि। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के बीच 100 स्मार्ट शहरी स्लॉट तय करते समय भौगोलिक इक्विटी पर ध्यान दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक शहर/संघ शासित प्रदेश में कम से कम एक स्मार्ट शहर अवश्य हो। प्रत्येक राज्य द्वारा नामित शहर अंतर-शहर प्रतियोगिता के दूसरे चरण में हिस्सा लेंगे, जो सभी 100 शहरों के बीच होगी। इसका उद्देश्य स्मार्ट शहर योजनाएं तैयार करने के लिए शहरों का मूल्यांकन करना है, जो तय मानदंड के आधार पर मंत्रालय के विशेषज्ञों के पैनल द्वारा किया जाएगा।

समग्र शहर घटकों में बुद्धिमतापूर्ण परिवहन समाधान जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं, जो यात्रा का समय कम करते हुए सभी निवासियों के लिए लाभप्रद हो सकें। स्मार्ट शहर मिशन और 'अमृत' दोनों को ही वास्तव में बायोलाॅजिकल ढंग से सम्बद्ध बनाया जाएगा। 'अमृत' के अंतर्गत 50,000 करोड़ के निवेश का प्रावधान है। इसमें जलापूर्ति, सीवर प्रणाली, रिसाव प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष योजनाओं के साथ परिवहन और हरित क्षेत्रों एवं उद्यानों का विकास जैसे उपायों पर बल दिया जाएगा।

मिशन में अन्य बातों के अलावा ई-गवर्नेंस, व्यावसायिक म्युनिसिपल काडर का निर्माण, स्थानीय शहरी निकायों के लिए निधियों और कार्यों का विकास, भवन निर्माण नियमों की समीक्षा, म्युनिसिपल करों के मूल्यांकन और वसूली में सुधार, शहरी स्थानीय निकायों की क्रेडिट रेटिंग, ऊर्जा और जल लेखा परीक्षण और नागरिक केंद्रित शहरी आयोजना जैसे लक्ष्य हासिल करने का प्रावधान है। 'अमृत' मिशन 500 शहरों और कस्बों में लागू किया जाएगा जिनकी आबादी एक लाख और उससे अधिक होगी। इसमें कुछ अन्य शहर भी शामिल किए जाएंगे, जैसे मुख्य नदियों के किनारे पर बसे शहर, कुछ राजधानी शहर और पर्वतीय क्षेत्रों, द्वीपों और पर्यटक स्थलों पर स्थित महत्वपूर्ण शहर।

स्मार्ट सिटी पहल के योजनाकारों ने बुनियादी ढांचा सेवाओं की कार्य सूची तैयार की है, जिसमें समुचित और स्वच्छ जलापूर्ति, स्वच्छता और ठोस कचरे का प्रबंधन, सक्षम शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन, गरीबों के लिए सस्ते मकान, बिजली आपूर्ति, सुदृढ़ आईटी कनेक्टिविटी, शासन, विशेष कर ई-गवर्नेंस, सुरक्षा और निवासियों की संरक्षा, सुविकसित स्वास्थ्य, शिक्षा सेवाएं और स्थाई शहरी विकास के उपाय शामिल हैं।

दिशा-निर्देशों के अंतर्गत एक समयबद्ध सुधार कार्यक्रम सभी राज्यों को भेजा जाएगा। सूत्रों ने बताया है कि सरकार 'अमृत' के अंतर्गत उन परियोजनाओं के लिए केंद्रीय वित्त पोषण को पहले ही मंजूरी दे चुकी है, जो जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत मंजूर की गई थीं और अभी पूरी नहीं हुई थीं। 2005-2012 के दौरान जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत मंजूर की गईं शहरी विकास से सम्बद्ध परियोजनाएं, जो 50 प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्राप्त करते हुए 50 प्रतिशत भौतिक प्रगति का लक्ष्य हासिल कर चुकी हैं, और 2012-14 के दौरान मंजूर की गईं परियोजनाओं के लिए मार्च, 2017 तक सहायता दी जाएगी। तदनुरूप इन परियोजनाओं को पूरा

करने के लिए शेष वित्त पोषण के रूप में 102 और 296 परियोजनाओं को केंद्रीय सहायता मिलेगी।

श्री नायडू ने कहा कि “गेंद अब राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों के पाले में है कि वे इस कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए समुचित सक्रियता दिखाएं। शहरी परिदृश्य को नया रूप देने के लिए अगले 10 वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हम इस अवसर को व्यर्थ जाना बर्दाश्त नहीं कर सकते। राज्यों और शहरी निकायों के लिए यह करो या मरो की स्थिति है। परीक्षा की घड़ी शुरू हो गई है”।